राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग

मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने चिकित्सा शिक्षा भवन गोविन्द मार्ग जयपुर
दूरभाष 0141–2601727 ई–मेल adddir.dme-rj@gov.in

क्रमांक –प.7(86)सीएम–एचएम बजट/डी.एम.ई/एके0/2015/लूज 3876 दिनांक 28/8/23

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(86)सीएम/एचएम/बजट/ डीएमई/ एकेड /2015/8000 दिनांक 12.7.2022 के द्वारा केन्द्रीय स्तर पर आयोजित नीट पीजी (मेडिकल/डेन्टल)/सुपरस्पेशियलिटी की परीक्षा से राज्य में प्रवेशित स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के द्वारा कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात् राज्य सेवा में दो वर्ष की सेवा देने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें बिन्दु संख्या 8 के अनुसरण में प्रवेशित बैच 2020 में विद्यार्थियों को दो वर्ष की राज्य सेवा देने के संबंध में आवंटित किये जाने वाले अभ्यर्थियों हेतु निम्नानुसार आवंटन बोर्ड–2023 का गठन किया जाता है:–

1	डॉ0 संदीप टण्डन, वरि0 आचार्य, आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल साईन्सेस, जयपुर	अध्यक्ष
2	निदेशक (जन0 स्वा), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राज जयपुर	सदस्य
3	अतिरिक्त निदेशक (एके), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।	सदस्य
4	अतिरिक्त निदेशक (एके), राजमेस	सदस्य
5	प्रधानाचार्य एंव नियत्रंक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, जयपुर, द्वारा नामित प्रतिनिधि (अति0 प्रधानाचार्य/अकादमिक प्रभारी स्तर के)	सदस्य
6	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, राजकीय मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सदस्य
7	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, राजमेस	सदस्य

<u>आंवटन बोर्ड निम्नानुसार कार्य सम्पादन करना सुनिश्चित करेगा:–</u>

1. इस विभाग के पत्र क्रमांक 3806 दिनांक 22.08.2023 को एमडी/एमएस/एमसीएच/डीएम आवंटन के संबंध में बैठक कार्यवाही विवरण के बिंदु संख्या 1 एवं पूर्व में समय–समय पर जारी विभागीय आदेशों के अनुक्रम में आवंटन बोर्ड द्वारा बैच–2020 के प्रवेशित विद्यार्थियों का आवंटन किया जाना सुनिश्चित करेगा।
2. चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में रिक्त सीनियर रेजीडेन्ट एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग में रिक्त चिकित्सकों के पद (बैच–2020 में प्रेवशित) पर बंधपत्र के शर्तो की अनुपालनार्थ हेतु उक्त आवंटन बोर्ड के माध्यम से अभ्यार्थियों को आवंटन किया जायेगा।
3. उक्त बोर्ड के अध्यक्ष की आवश्यकतानुसार मानव संसाधन (जो की वर्ष 2022 की यू.जी/पीजी काउन्सलिंग में शामिल वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक शिक्षकों एंव स्टाफ इत्यादि) प्रधानाचार्य एंव नियन्त्रक, आरयूएचएस डेन्टल कॉलेज जयपुर द्वारा उपलब्ध कराए जायेगें।
4. आवंटन बोर्ड द्वारा आवश्यक यथोचित व्यय हेतु तथा ऑनलाईन पोर्टल से सम्बन्धित आदि के लिये वर्ष 2022 में नीट यू.जी/पी.जी कॉउन्सिलिंग से प्राप्त राशि में से उपयोग किया जायेगा।

(इक़बाल खान)
सन्युक्त शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Iqbal Khan
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2023.08.2[illegible] [illegible]2:42:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4582899

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग

मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने चिकित्सा शिक्षा भवन गोविन्द मार्ग जयपुर
दूरभाष 0141–2601727 ई–मेल adddir.dme-rj@gov.in

क्रमांक –प.7(86)सीएम–एचएम बजट/डी.एम.ई/एके0/2015/लूज 3816 **दिनांकः** 28/8/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक–आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.), चिकित्सा शिक्षा/राजमेस।
7. निदेशक (जन0 स्वा), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर
8. प्रधानाचार्य, आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल साईन्सेस जयपुर को पालनार्थ।
9. डॉ0 संदीप टण्डन, वरि0 आचार्य–पीडोडोन्टिक्स आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल साईन्सेस जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक (अकादमिक), चिकित्सा शिक्षा/राजमेस, जयपुर।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, राजकीय मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
12. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, राजमेस।
13. रक्षित पत्रावली।

सन्युक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by I... Khan
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2023.08.2... 2:42:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4582899

Government of Rajasthan
Directorate of Medical Education
Chikitsa Shiksha Bhawan, Govind Marg, Jaipur-302004
Email- adddir.dme-rj@gov.in

No.F.7(86)CMHM/BUDGET/DME/ACAD/2015/LOOSE-2/3806 Date: 22/8/2023

Meeting Minutes

A series of meetings was held under the chairmanship of Principal Secretary and Commissioner, Medical Eduation Department (including dated 24.07.2023) to review the various issues related to MD/MS/M.Ch/DM Candidate Allotment to serve State government at Secretariat, Medical Education department and Directorate Medical Education, Jaipur, Rajasthan.

Following officials attended the mettings:

1. Dr. Rashmi Gupta, Additional Director (Acad.), DME, Jaipur
2. Dr.SandeepTondon, Chairperson,MD/MS/M.Ch/DM candidate allotment board to serve State government.
3. Mr. Chhail Bihari, Senior JLR.
4. Dr. Manoj Garg, DD (Acad-1), RajMES
5. Dr. Manisha, DD (HA), RajMES.

Following were the discussion points and directions given:

1. Recommendations of the committee constituted for deciding allotment process of Batch 2020 were reviewed *(see enclosure)*and regarding allotment of passed out candidates of admission batch 2020 , it was directed that :-
    a. The recommendations of the committee constituted for the purpose are to be adopted with modification as directed this Meeting.
    b. 10% of seats from the vacancy matrix prepared by the concerned allotment board shall be reserved for 'Other' candidates and are to be filled by the board on basis of academic parameters of percentage of MBBS degree marks and no. of attempts.
    c. Rest 90% seats will be allotted by the concerned allotment board as per process adopted for admission Batch 2019.
    d. Reservation roaster is to be applied departmentwise.
    e. Salary structure will be same as it was followed for the admission batch 2019.
    f. No Mutual exchange between the candidates shall be allowed.
    g. It was directed that first the designated seats shall be filled with candidates of admission batch 2020 by the concerned allotment board then seats remaining vacant as by nonjoining or after NEET-SS counselling afterwards shall be filled in second round of counselling by the concerned board.
    h. After second round of allotment, a waiting list of in-service candidates/ other candidates will be prepared and seats remaining vacant or vacancy arising due to any reason will be filled from the waiting list for the tenure till next PG batch passes out.

Government of Rajasthan
Directorate of Medical Education
Chikitsa Shiksha Bhawan, Govind Marg, Jaipur-302004
Email- adddir.dme-rj@gov.in

---

2. Regarding allotment of candidates for second year to serve state government in continuation of previous year allotment, it was directed that:
   a. Only nonservice candidates are to be considered.
   b. Posts of assistant professor as per vacancy matrix provided by medical colleges of government sector are also to be included.
   c. If insufficient, the post of junior specialists and medical officers as provided by department of medical health are to be included.
   d. Pending applications of mutual exchange between the candidates are not allowed.
   e. Tenure of allotted candidates shall be considered for the time period served by them irrespective of place of allotment during tenure period and is to be considered from first date of allotment for the candidates who have been reallotted after de-novo counselling.

3. Three faculty members: Dr Mamta, (Asso.Professor, GMC Sirohi), Dr Kaustubh Singh(SD, GMC Dungarpur)Dr Sanjay Chodhary(Prof, GMC Pali) will be coordinating Ad(acad) DME/RajMESfor counselling purposes.

4 .The posts of SR sanctioned in departments with eligibility other than MD/MS/DM/MCH e.g Dentistry, Radiological Physics is to be filled by respective Principals of medical colleges as per rules previously followed.

Enclosures: As above

22/8/23

(Shivprasad Nakate)
Commissioner
Medical Education Department

No.F.7 (86) CMHM/BUDGET/DME/ACAD/2015/LOOSE-2/3806

Date: 22/8/2023

Copy for information and necessary action please:-

1. PS to Principal Secretary, Medical Education, Rajasthan, Jaipur.
2. PA to Commissioner, Medical Education, Rajasthan, Jaipur.
3. PA to AD (Admin.), Medical Education, Rajasthan, Jaipur.
4. All the concerned above.

22/8/23

Commissioner
Medical Education Department

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 2020 मेडिकल पीजी बैच के लिए बॉन्ड पॉलिसी को लेकर गठित कमिटी की दिनांक 14 जून 2023 को बैठक में चर्चा के बाद निम्न बिंदुओं पर सहमति प्रदान की गई जिसे कमिटी की सिफारिश के तौर किर्यानवन के लिए भेजा जाना प्रस्तावित है

1. बॉन्ड के तहत होने वाली काउंसलिंग को अगस्त माह में शुरू कर 1 सितंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा
2. बॉन्ड में पोस्टिंग प्रिक्रिया पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के आधार पर की जाएगी जो कुल पीजी सीटस का 50% ऑल इंडिया कोटा तथा 50% स्टेट कोटा है
3. इसी तर्ज पर बॉन्ड के तहत आने वाली कुल SR सीटों में 50% सीट्स पर ऑल इंडिया कोटा से आए रेजिडेंट्स का उनके NEET रैंक/स्कोर के आधार पर काउंसलिंग की जायेगी
4. बॉन्ड के तहत आने वाली कुल SR सीट्स में 50% सीट्स पर स्टेट कोटा से चयनित रेजिडेंट्स का उनकी स्टेट रैंक के आधार पर किया जाएगा जिसमे इनसर्विस डॉक्टर्स को सेवाकाल अनुसार 10/20/30% अतिरिक्त अंक पूर्व से देय है
5. SR आवंटन के बाद अगर कोई बॉन्ड राशि जमा कर मुक्त होता है या NEET SS की काउंसलिंग बाद SR के पद रिक्त होते है इन रिक्त पदों को कुल SR सीट्स मानकर काउंसलिंग पोर्टल को पुनः खोला जाए ताकि सभी रेजिडेंट्स को अपग्रेडेशन का मौका दिया जा सके
6. NEET SS बाद सीनियर रेजिडेंट पद पर पुनः हुई काउंसलिंग के बाद भी अगर कोई पद खाली रह जाता है सिर्फ इसी स्थिति में रिक्त पद पर अगली काउंसलिंग होने तक SRship एक्सटेंशन या नई नियुक्ति की जा सकेगी तथा इन सभी पदों को आगामी वर्ष बॉन्ड के तहत होने वाली SR आवंटन काउंसलिंग में रिक्त पदों में शामिल किया जाएगा
7. जिन रेजिडेंट्स को प्रथम वर्ष में SR की सीट आवंटित हुई है उनकी SRship की अवधि एक साल तक ही सीमित रखी जाएगी।

(Dr Manj Goyal) DD (Acd) RJMES

Dr. Neeraj Damor (JARD President)

आचार्य एवं इकाई प्रभारी
विभाग
सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर

(C.B. Agrawal) Sr. J.L.R.

AP (Acad)